रजिस्टर्ड सं० डी—(डीएन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 28, 1987 (फाल्गुन 9, 1908)

No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 28, 1987 (PHALGUNA 9, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गयी विधिवत् नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	277
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	223
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	3
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	259
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	1591
भाग III—खण्ड 2—पेटेण्ट कार्यालय द्वारा जारी की गयी पेटेण्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	145
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1033
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	29
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	277
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	223
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	259
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1591
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	145
PART III—SECTION 3—Notification issued by or under the authority of Chief Commissioners	1
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1033
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	29
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	

* Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 1987

सं० 20-प्रेज/87—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री नंदन सिंह, (मरणोपरांत)

हैड कान्स्टेबल सं० 590073166,

7वीं बटालियन,

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

11 फरवरी, 1986 को लगभग 11.30 बजे पूर्वाह्न नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैण्ड के 14-15 विद्रोहियों ने सेनापति (मणिपुर) में भारतीय स्टेट बैंक-एवं-ट्रेजरी की एक शाखा पर आक्रमण किया। वे चीन में बने अत्याधुनिक स्वचालित/अर्द्ध-स्वचालित शस्त्रों से लैस थे। बैंक में सेक्शन कमाँडर, हैड कान्स्टेबल नन्दन सिंह कान्स्टेबल बी० एल० नान्हैया, नायक शेर सिंह तथा कान्स्टेबल जलदीप सिंह सहित आठ व्यक्तियों को सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात किया गया। वहां दो स्थैतिक संतरी थे, जिनमें से एक भवन के सामने और दूसरा पीछे था। श्री नन्दन सिंह स्वयं बैंक में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर नजर रखने के लिये मुख्य द्वार पर खड़े थे। नायक शेर सिंह तथा कान्स्टेबल जलदीप सिंह ने स्ट्रांग रूम के पास स्थिति संभाल रखी थी।

बैंक के भवन में तीन व्यक्तियों का गिरोह दाखिल हुआ, जिसमें से एक जैकेट पहने हुए था और दो अन्य शालें ओढ़े हुए थे। जैकेट पहने व्यक्ति ने बैंक में कदम रखते ही हैड कान्स्टेबल नंदन सिंह को धकेल कर एक तरफ कर दिया और उन पर गोली चलाई जो गले की दांयी हड्डी पर लगी। अन्य दो ने भी स्वचालित/अर्द्ध-स्वचालित शस्त्रों से नन्दन सिंह पर गोली चलाई जो वे अपनी शालों के नीचे छिपाये हुए थे। इन घातक वारों से, श्री नन्दन सिंह जमीन पर गिर पड़े। गोलियों से छलनी होने और खून बहने के बावजूद, वे आक्रमणकारियों से भिड़ गये और उन्हें अपने से दूर नहीं जाने दिया। अन्ततः 13 गोलियों से छलनी होकर उन्होंने दम तोड़ दिया।

कान्स्टेबल बी० एल० नान्हैया ने जो बैंक भवन के सामने सन्तरी की ड्यूटी पर थे, एक विद्रोही पर गोलियां चलाई। एक गोली उनकी दाईं बाजू पर लगी। और दूसरी कन्धे के नीचे पीठ पर दायीं ओर लगी। वे सन्तरी चौकी पर गिर गये परन्तु घायल होने के बावजूद वे सन्तरी चौकी से बाहर आये और बैंक के द्वार की ओर बढ़े और विद्रोहियों पर गोलियां चलाते रहे। इस बीच एक अन्य विद्रोही ने श्री नान्हैया की बांयी जांघ तथा छाती पर दांयी ओर गोली दाग दी। वे गिर गये और बैंक के कर्मचारी उन्हें बैंक के भीतर ले गये जहां उन्होंने अंतिम सांस लिया। नायक शेर सिंह और कान्स्टेबल जलदीप सिंह ने जो स्ट्रांग रूम के पास खड़े थे चिल्ला कर बैंक कर्मचारियों से जमीन पर लेट जाने और आड़ लेने के लिये कहा। उन्होंने अपनी राइफलें उठाई और गोली चलाई जो दीवार में लगी जहां सेक्शन कमाण्डर विद्रोहियों से संघर्ष कर रहे थे। इससे पहले कि शेर सिंह और गोली चलाते, एक विद्रोही ने उन पर गोली चलाई। गोली ने राइफल की फ्रन्ट हैण्ड गार्ड पर वार करते हुए उनके दाहिने जबड़े को चीर डाला। चेहरे पर चोट और दर्द के कारण वे गिर गये परन्तु जवाब में गोली चलाते रहे। कान्स्टेबल जलदीप सिंह बैंक मैनेजर के साथ वाले कमरे में घुसे और सामने की खिड़की का शीशा तोड़ा और विद्रोहियों पर गोलियां चलाने लगे। मौत का मुकाबला करते हुए इन अधिकारियों की साहसी और वीरता पूर्ण कार्यवाही ने बैंक को लूटे जाने से बचाया और बैंक कर्मचारियों की जानों की रक्षा की।

इस मुठभेड़ में श्री नन्दन सिंह, हैड कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 फरवरी, 1986 से दिया जाएगा।

सं० 21-प्रेज/87—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री बी० एल० नान्हैया, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल सं० 750410084,
7वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री शेर सिंह
नायक सं० 690480767,
7वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री जलदीप सिंह
कांस्टेबल सं० 800080165,
7वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

11 फरवरी, 1986 को लगभग 11.30 बजे पूर्वाह्न नेशनल सोशलिस्ट कांउसिल ऑफ नागालैण्ड के 14-15 विद्रोहियों ने मेनापति (मणिपुर) में भारतीय स्टेट बैंक-एवं-ट्रेजरी की एक शाखा पर आक्रमण किया। वे चीन में बने अत्याधुनिक स्वचालित/अर्द्ध-स्वचालित शस्त्रों से लैस थे। बैंक में सेक्शन कमांडर, हैड कांस्टेबल नन्दन सिंह, कांस्टेबल बी० एल० नान्हैया, नायक शेर सिंह तथा कांस्टेबल जलदीप सिंह सहित आठ व्यक्तियों को सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात किया गया। वहां दो स्थैतिक संतरी थे, जिनमें से एक भवन के सामने और दूसरा पीछे था। श्री नन्दन सिंह स्वयं बैंक में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर नजर रखने के लिये मुख्य द्वार पर खड़े थे। नायक शेर सिंह तथा कांस्टेबल जलदीप सिंह ने स्ट्रांग रूम के पास स्थिति संभाल रखी थी।

बैंक के भवन में तीन व्यक्तियों का गिरोह दाखिल हुआ, जिनमें से एक जैकेट पहने हुए था और दो अन्य शालें ओढ़े हुए थे। जैकेट पहने हुए व्यक्ति ने बैंक में कदम रखते ही हैड कांस्टेबल नंदन सिंह को धकेल कर एक तरफ कर दिया और उन पर गोली चलाई जो गले की दायीं हड्डी पर लगी। अन्य दो ने भी स्वचालित/अर्द्ध स्वचालित शस्त्रों से नन्दन सिंह पर गोली चलाई जो वे अपनी शालों के नीचे छिपाए हुए थे। इन घातक वारों से, श्री नन्दन सिंह जमीन पर गिर पड़े। गोलियों से छलनी होने और खून बहने के बावजूद, वे आक्रमणकारियों से भिड़ गये और उन्हें अपने से दूर नहीं जाने दिया। अन्ततः 13 गोलियों से छलनी होकर उन्होंने दम तोड़ दिया।

कांस्टेबल बी० एल० नान्हैया ने जो बैंक भवन के सामने संतरी की ड्यूटी पर थे, एक विद्रोही पर गोलियां चलाई। एक गोली उसकी दांयी बाजू पर लगी और दूसरी कन्धे के नीचे पीठ पर दांयी ओर लगी। वे संतरी चौकी पर गिर गये परन्तु, घायल होने के बावजूद वे संतरी चौकी से बाहर आये और बैंक के द्वार की ओर बढ़े और विद्रोहियों पर गोलियां चलाते रहे। इस बीच एक अन्य विद्रोही ने श्री नान्हैया की बांयी जांघ तथा छाती पर दांयी ओर गोली दाग दी। वे गिर गये और बैंक के कर्मचारी उन्हें बैंक के भीतर ले गये जहां उन्होंने अंतिम सांस लिया।

नायक शेर सिंह और कांस्टेबल जलदीप सिंह ने जो स्ट्रांग रूम के पास खड़े थे, चिल्ला कर बैंक कर्मचारियों से जमीन पर लेट जाने और आड़ लेने के लिये कहा। उन्होंने अपनी राइफलें उठाई और गोली चलाई जो दीवार में लगी जहां सैक्शन कमांडर विद्रोहियों से संघर्ष कर रहे थे। इससे पहले कि शेर सिंह और गोली चलाते, एक विद्रोही ने उन पर गोली चलाई। गोली ने राइफल की फ्रंट हैण्ड गार्ड पर वार करते हुए उनके दाहिने जबड़े को चीर डाला। चेहरे पर चोट और दर्द के कारण वे गिर गये परन्तु जवाब में गोली चलाते रहे। कांस्टेबल जलदीप सिंह बैंक मैनेजर के साथ वाले कमरे में घुसे और एक गोली चलाई और सामने की खिड़की का शीशा तोड़ा और विद्रोहियों पर गोलियां चलाने लगे। मौत का मुकाबला करते हुए इन अधिकारियों की साहसी और वीरता पूर्ण कार्यवाही ने बैंक को लूटे जाने से बचाया और बैंक कर्मचारियों की जानों की रक्षा की।

इस मुठभेड़ में, श्री बी० एल० नान्हैया, कांस्टेबल श्री शेर सिंह, नायक तथा श्री जलदीप सिंह कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 फरवरी, 1986 से दिये जायेंगे।

सं० 22-प्रेज/87—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री पाली राम,
उप-निरीक्षक संख्या 561580063,
7वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री उधो दास, (मरणोपरांत)
हैड कांस्टेबल सं० 620142156,
40वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री बिरस्ची चौधरी,
कान्सेटेबल सं० 700070515,
7वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,।

श्री विष्णु कुमार,
कांस्टेबल सं० 791180991,
7वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

24 मई, 1985 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक कानवाई, जिसमें 8 बसें/वाहन और उपयुक्त सुरक्षा के साथ 171 आदमी थे, दीमापुर ट्रांजिट शिविर से इम्फाल (मणिपुर) के लिए रवाना हुए। घाट क्षेत्र से गुजरते हुए बूंदा-बांदी होने लगी और धुंध से दिखना बंद होने लगा। प्रातः लगभग 7.50 बजे जब पहला संरक्षण वाहन "यू" मोड़ लेने लगा तो मदजीफेमा और फिग्मा के मध्य भूमिगत नागाओं/उग्रवादियों ने स्वचालित शस्त्रों से भारी गोलाबारी की। चूंकि कानवाई रुक गई थी अतः उप निरीक्षक पाती राम ने तत्काल यह महसूस किया कि उनकी कानवाई पर घात लगाई गई है। उन्होंने तुरन्त 2" मोर्टार को सुरक्षित स्थान पर अच्छी तरह छिपा दिया और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए "यू" मोड़ की तरफ भागे। "यू" मोड़ के नजदीक दूसरे वाहन के पास पहुंचने के बाद उन्होंने चिल्ला कर प्रथम संरक्षण दल के प्रभारी से गोलीबारी की स्थिति के बारे में सूचित करने के लिये कहा और उन्हें बताया गया कि गोलीबारी "यू" मोड़ की पहाड़ियों की तीनों दिशाओं से की जा रही है। उन्होंने पहाड़ी के ढलान पर और वाहन के बायें ओर 2" मोर्टार से गोलीबारी करने का आदेश दिया। बम ढलान पर गिरा जिससे क्षेत्र में भयानक धमाका हुआ। इससे घात लगाने वाले घबरा गए और पहाड़ी ढलानों से गोलीबारी बन्द हो गई। वे पहले वाहन पर गए और देखा कि दो व्यक्ति मृत पड़े हैं और अन्य कई जख्मी हैं और सहायता के लिये कराह रहे हैं। हैड-कांस्टेबल उधो दास ने अपने एक साथी से राइफल छीनी और मोर्चा संभाला और विद्रोहियों को ललकारा। चूंकि वहां पर मोर्चा संभालने के लिये कोई उपयुक्त स्थान नहीं था अतः उनको विद्रोहियों के सामने आने का खतरा उठाना पड़ा। मुठभेड़ के दौरान वे गोलियों से जख्मी हो गए। कांस्टेबल बिरन्ची चौधरी अपनी एल० एम० जी० के साथ प्रथम वाहन में खड़े थे। उन्होंने एल० एम० जी० को नीचे उतारा और उसे वाहन के पिछले हिस्से में रखा और जिस दिशा से गोलीबारी की जा रही थी उस दिशा में गोलीबारी करनी शुरू कर दी। अपने इर्द-गिर्द जख्मी व्यक्तियों की कराहट से विचलित न होकर उन्होंने घात लगाने वालो पर एल० एम० जी० द्वारा सफलतापूर्वक गोली-बारी करके उन्हें हथियार उठाने से रोका। इससे पहले कि कांस्टेबल विष्णु कुमार स्थिति का जायजा लेते, उन्होंने अपने आपको पीछे से स्वचालित हथियारों से हो रही भारी गोलीबारी के बीच पाया। चूंकि वाहन के पीछे का हिस्सा खुला हुआ रखा गया था, और वहां छिपने या शरण लेने के लिये कोई स्थान नहीं था अतः उन्होंने एस० एल० आर० से घात लगाने वालों पर तत्काल गोली-बारी करनी शुरू कर दी। दूसरा कांस्टेबल जो एल० एम० जी० चला रहा था, जख्मी हो गया, कान्सटेबल विष्णु कुमार ने एल० एम० जी० ली और घात लगाने वालों की तरफ गोली-बारी करनी शुरू कर दी। उनके द्वारा लगातार गोलीबारी किये जाने से घात लगाने वाले अपना सिर ऊपर नहीं उठा पाये और अधिक नुकसान करने का उनका प्रयत्न विफल हो गया। संरक्षण दल के सख्त और अप्रत्याशित प्रतिरोध के परिणामस्वरूप, घात लगाने वाले घने आवरण, कम दृश्यता, प्रतिकूल मौसम और ऊंची जगह पर विद्यमान होने का लाभ उठाकर अपनी जान बचाने के लिये पीछे हट गये।

उप निरीक्षक पाती राम, हैड कांस्टेबल उधो दास को असम राईफल के निकटतम एम० आई० रूम में ले गए, जहां बाद में जख्मों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अन्य सभी घायल कार्मिकों को सैनिक अस्पताल ले जाने का निदेश देकर एक बस में असम राईफल के शिविर में भेजा गया।

इस मुठभेड़ में श्री पाती राम, उप निरीक्षक, श्री उधो दास, हैड कांस्टेबल, श्री बिरन्ची चौधरी, कांस्टेबल, श्री विष्णु कुमार, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 मई, 1985 से दिये जायेंगे।

सं० 23-प्रेज/87—राष्ट्रपति मिजोरम पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री सांगठुगा,
कांस्टेबल एस० बी०/सी० आई० डी०,
लुंगलेई, मिजोरम।

श्री आर० लाललुंगमुआना,
कांस्टेबल, डी० एस० बी,
लुंगलेई, मिजोरम।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

22 जुलाई, 1983 को सूचना मिली कि मामपुई गांव क्षेत्र में एम० एन० एफ० का एक दल बलपूर्वक कर इकट्ठा कर रहा है। सहायक पुलिस उप-निरीक्षक एक पुलिस दल के साथ एम० एन० एफ० के दल से मुठभेड़ करने के लिए रवाना हुए। मौके के निकट पहुंचने के बाद उन्होंने एम० एन० एफ० कैम्प की सही स्थिति का पता लगाने के लिये पुलिस के मुखबिरों से सम्पर्क करना शुरू किया। जंगल में से गुजरते हुए उन्हें एक क्षेत्र से धुआ उठता हुआ दिखाई दिया तथा पुलिस दल जिसमें दो सहायक उप-निरीक्षक, एक लांस नायक, सांगठुग तथा आर० लाललुंगमुआना समेत चार कांस्टेबल और एक ड्राईवर शामिल थे, छिपता हुआ बढ़ा परन्तु एम० एन० एफ० के व्यक्तियों

ने पुलिस दल को देख लिया और गोलियों की पहली बौछार में पुलिस के मुखबिर लालरोंगथाके को भून डाला। कांस्टेबल सांगठुंग तथा आर० लाललुंगमुआना ने जो मुखबिर के बिल्कुल निकट थे, एम० एन० एफ० पर तुरन्त हमला किया। वे जवाबी गोली चलाते हुए टेढ़े-मेढ़े रास्ते से एम० एन० एफ० के मोर्चे की तरफ बढ़े। ये कांस्टेबल घटनास्थल पर पहुंचे और श्री सांगठुंगा और उसके बाद कांस्टेबल लाललुंगमुआना ने विरोधियों पर आक्रमण किया। उनकी एम० एन० एफ० से झड़प हुई और उन्होंने विद्रोहियों से एस० ए० आर० छीन ली। जब उन्होंने एस० एस० डब्ल्यू० डी–II वैनलालसियाम्मा को निःशस्त्र किया तो पीछे से एक और विद्रोही आया परन्तु कांस्टेबलों ने उस पर आक्रमण किया और अपराधी लालजौवा को पकड़ लिया। इस दौरान अन्य विद्रोहियों ने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे कांस्टेबल सांगठूंगा और आर० लाललुंगमुआना का ध्यान उस ओर आकृष्ट हुआ। इसका लाभ उठाकर, एस० एस० पी० वी० टी० लालजौवा ने एस० ए० आर० छीनकर भागने की कोशिश की परन्तु पुलिस की गोली-बारी ने उसे छलनी कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। पीछे से गोली चलने पर शेष विद्रोही भाग गए और एक 303 राइफल छोड़ गये। इस मुठभेड़ में एस० एस० पी० वी० टी० लालजौवा मारा गया तथा वालालसियम्मा पकड़ लिया गया। विद्रोहियों का कमांडर एस० एस० एल० टी० छारीलियाना जो भागने में सफल हो गया था मृत पाया गया क्योंकि मुठभेड़ में वह मारा गया था। गोला-बारूद के 59 राउंड समेत एक एस० ए० आर०, 40 राउन्ड समेत, 303 की एक राइफल तथा अबैध रूप से एकत्र की गई 3334 रु० की धन राशि बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में श्री सांगगठुंगा, कांस्टेबल तथा श्री आर० लाललुंगमुआना, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 22 जुलाई, 1983 से दिये जायेंगे।

सु० नीलकण्ठन,
राष्ट्रपति का उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 1987

संकल्प

सं० ओ०-15011/1/82-एस० ई० आर०—योजना आयोग के दिनांक 18 सितम्बर, 1985 के संकल्प सं० ओ० 15011/1/82-एस० ई० आर० के पैरा 1 के सन्दर्भ में।

2. "समिति का गठन" अब निम्न प्रकार से पढ़ा जाए:

गठन

अध्यक्ष

1. प्रो० एस० चक्रवर्ती, योजना आयोग

सदस्य

2. डा० राजा जे० चलैय्या, सदस्य, योजना आयोग।
3. डा० सी० ए च० हनुमंतराव, आर्थिक संवृद्धि संस्थान, दिल्ली।
4. डा० ए० एम० खुसरो, अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान, विशेष संस्था क्षेत्र, नई दिल्ली-110067
5. डा० जी० रंगाराजन, डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई।
6. डा० वाई० के० अलघ, अध्यक्ष, औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो, लोक नायक भवन, नई दिल्ली-110003
7. डा० के० कृष्णामूर्ति, आर्थिक संवृद्धि संस्थान, विश्वविद्यालय एनक्लेव, दिल्ली-1
8. प्रो० इकबाल नारायण, सदस्य-सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद, 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
9. डा० ए० बागची, निदेशक, राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान विशेष संस्था क्षेत्र, नई दिल्ली-110067
10. डा० ए० वैदयानाथन, प्रोफेसर, मद्रास विकास अध्ययन संस्थान, अदयार, मद्रास-600020
11. डा० प्रवीन विसारिया, निदेशक, गुजरात क्षेत्र योजना संस्थान, प्रीतम राज मार्ग, अहमदाबाद-380006
12. प्रो० योगेन्द्र सिंह, सामाजिक प्रणाली अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110067
13. प्रो० विकटर एस० डी० सोजा, नेशनल फैलो, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद (पता: 7, अमेलिया अपार्टमेंटस, कार्मल रोड, बांद्रा, बम्बई-400050
14. डा० पी० सी० जोशी, सलाहकार (अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र) योजना आयोग।
15. डा० (श्रीमती) आर० थामाराजक्षी, सलाहकार (श्रम, रोजगार तथा जनशक्ति), योजना आयोग।
16. डा० एम० आर० हशीम, परामर्शदाता, (भावी योजना) योजना आयोग।
17. डा० पी० डी० मुखर्जी, सलाहकार (वित्तीय संसाधन) योजना आयोग।
18. श्री एस० के० गोविल, परामर्शदाता (वित्तीय संसाधन) योजना आयोग।

सदस्य सचिव

19. डा० वी० जी० भाटिया, सलाहकार (विकास नीति), योजना आयोग।

3. शेष संकल्प में कोई परिवर्तन नहीं है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचा दी जाए और इसे सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० सी० अग्रवाल
निदेशक (प्रशासन)

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जनवरी 1987

संकल्प

विषय:—दून घाटी और उसके आस-पास के गंगा व यमुना के जलसंभर क्षेत्रों के लिए बोर्ड का पुनर्गठन

सं० जे० 20012/38/86 आई० ए०—यह निर्णय किया गया है कि श्री भजन लाल मंत्री (पर्यावरण और वन) दून घाटी और उसके आस-पास के गंगा व यमुना के जलसंभर क्षेत्रों के बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। श्री जेड० आर० अन्सारी, राज्य मंत्री (पर्यावरण और वन) बोर्ड के सदस्य बने रहेंगे। बोर्ड

का गठन, जैसा कि पर्यावरण और वन मंत्रालय के दिनांक 25-4-85 के संकल्प संख्या एल० 14015/11/85-इन्वा० 5 में दिया गया है, को इसके द्वारा संशोधित किया समझा जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति दून घाटी और उसके आस-पास के गंगा एवं यमुना के जलसंभर क्षेत्रों के लिए बोर्ड के अध्यक्ष तथा सभी अन्य सदस्यों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

वि० ना० शेषन सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 1987

संकल्प

सं० टी० 12016/26/86-एसीसी—भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अन्य बातों के साथ-साथ आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों की औषधों में मुख्य घटकों के रूप में औषधि पादपों के महत्व को दृष्टि में रखते हुए, इन औषधि पादपों के विकास के लिए उपयुक्त कदम उठाने के प्रश्न पर विचार करती आ रही है। इन चिकित्सा पद्धतियों की औषधीयों की गुणकारिता निर्धारित करने के लिए सही और प्रामाणिक औषधि के इस्ते माल से काफी मदद मिलती है। इन औषधों की देशी और विदेशी मांग में वृद्धि होती जा रही है। औषधीय पादपों के विकास के लिए एक ठोस आधार बनाने के लिए कारगर उपाय करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति निर्णय किया है कि औषधि पादपों के विकास के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में एक स्थायी समिति का गठन किया जाए जिसके सदस्य निम्नलिखित होंगे :

1. भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री।	अध्यक्ष
2. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।	सदस्य
3. अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।	सदस्य
4. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।	सदस्य
5. निदेशक (भा० चि० प०) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
6. सलाहकार (ए० एस० एन० एण्ड वाई०) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।	सदस्य
7. सलाहकार (होम्योपैथी) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।	सदस्य
8. निदेशक केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसन्धान परिषद, एस-10, धर्म भवन, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली।	सदस्य
9. निदेशक, केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसन्धान परिषद, 5-पंचशील शापिंग सेंटर, पंचशील मार्ग, नई दिल्ली	सदस्य
10. निदेशक, केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसन्धान परिषद, जनकपुरी, नई दिल्ली	सदस्य
11. निदेशक (भा० चि० प०) तमिलनाडु सरकार, मद्रास	सदस्य
12. निदेशक (भा० चि० प०) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला	सदस्य
13. निदेशक, आयुर्वेद और यूनानी, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।	सदस्य
14 स्वास्थ्य सेवा निदेशक, असम सरकार, गुवाहाटी।	सदस्य
15. भारतीय चिकित्सा पद्धति के निदेशक, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल।	सदस्य
16. निदेशक, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, कलकत्ता	सदस्य
17. डा० (श्रीमती) जी० वी० सत्यावती, वरिष्ठ उपमहानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद, अंसारी नगर, नई दिल्ली	सदस्य
18. कुलपति, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर	सदस्य
19. कुलपति, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर	सदस्य
20. कुलपति, डा० वाई० एस० परमार उद्यान विज्ञान और वनविद्या विश्वविद्यालय, सोलन (हिमाचल प्रदेश)	सदस्य
21. अध्यक्ष, वन अनुसन्धान संस्थान देहरादून	सदस्य
22. मुख्य समन्वयक, नेशनल ब्यूरो आफ प्लांट्स। जेनेटिक रिसोर्सेज, नई दिल्ली	सदस्य
23. अध्यक्ष, आयुर्वेद भेषज संहिता समिति	सदस्य
24. अध्यक्ष, यूनानी भेषजसंहिता समिति	सदस्य
25. अध्यक्ष, होम्योपैथिक भेषजसंहिता समिति	सदस्य
26. डा० कृष्ण कुमार (निर्माता/चिकित्सक) कोयम्बतूर।	सदस्य
27. वैद्य श्री राम शर्मा, बम्बई।	सदस्य

28. अवर सचिव (भा० वि० प०), सदस्य-सचिव
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार।

2. समिति के कार्य निम्नलिखित होंगे:—

(क) औषधीय पादपों की मांग और पूर्ति सम्बन्धी मूल सूचना संकलन सहित सामान्यतया उनके विकास के उपाय सुझाना;

(ख) निर्यात संभाव्यता पर विचार करना;

(ग) संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के भिन्न-भिन्न तरीकों पर विचार करना;

(घ) भिन्न-भिन्न स्तरों के कर्मचारियों और औषधीय पादपों के संग्रह कार्य में लगे अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के विभिन्न कार्यक्रमों पर विचार करना,

(ङ) औषधीय पादपों के प्रोन्नति कार्यक्रमों के लिये सुनिर्धारित गतिविधियों को कार्यान्वित करने की योजनायें बनाना;

(च) केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई और राज्यों की नोडल एजेंसियों की गतिविधियों का समन्वय करना;

(छ) औषधीय पादपों के संवर्द्धन के लिये और जो कोई उपाय आवश्यक समझे जायें उन पर विचार करना;

3. समिति के सदस्यों का कार्यकाल इस संकल्प के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा।

4. समिति के गैर सरकारी सदस्य भारत सरकार के नियमों के अधीन स्वीकार्य यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे सरकारी सदस्यों के मामले में यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता उसी स्रोत से प्राप्त किया जाएगा जिससे उनका वेतन दिया जाता है।

5. इस पर होने वाला खर्च स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संस्वीकृत अनुदान में से पूरा किया जाएगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दी जाए और इस संकल्प को सर्व साधारण की सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० के० आलोक, संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी 1987

संकल्प

सं० 18-64/86-एल० डी० टी०—भारत सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है ताकि देश में मांस के उद्योग के विकास के उपायों का सुझाव दिया जा सके। विशेषज्ञ समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे:—

1. प्रो० एन० एस० रामास्वामी, अध्यक्ष
भूतपूर्व निदेशक, भारतीय प्रबन्धक संस्थान
अध्यक्ष, कार्टमैन, बंगलौर।

2. डा० एच० ए० बी० परपिया, सदस्य
(भूतपूर्व निदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी
अनुसंधान संस्थान, सलाहकार,
यू० एन० विश्वविद्यालय, मैसूर (कर्नाटक)।

3. डा० एस० थ्यागराजन, सदस्य
निदेशक,
केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान,
अदयार, मद्रास।

4. श्री इरफन अलाना, सदस्य
मांस उद्योगपति,
मार्फत मैसर्स अलाना एवं अन्स,
बम्बई (महाराष्ट्र)।

5. डा० एस० सी० जैन, सदस्य
सहायक महानिदेशक पशु-
विज्ञान, भारतीय कृषि
अनुसंधान परिषद्,
नई दिल्ली।

6. डा० एन० आर० भसीन, सदस्य
निदेशक,
वाणिज्य मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली।

7. प्रबंध निदेशक, सदस्य
आंध्र प्रदेश मांस एवं कुक्कुट
निगम, शांति नगर,
हैदराबाद।

8. प्रबंध निदेशक, सदस्य
महाराष्ट्र कृषि और उर्वरक,
निगम (मेफ्को), बम्बई।

9. कार्यकारी निदेशक के स्तर सदस्य
के प्रतिनिधि,
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड,
आनन्द।

10. डा० बी० सन्याल, सदस्य
उप-सलाहकार (पशु पालन),
योजना आयोग,
योजना भवन, नई दिल्ली।

11. निदेशक, पशुपालन, सदस्य
उत्तर प्रदेश।

12. निदेशक, पशुपालन, सदस्य
मिजोरम।

13. डा० ए० के० चैटर्जी, आयोजक
पशुपालन आयुक्त,
कृषि और सहकारिता विभाग,
कृषि मंत्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली।

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:—

(1) निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए ठोस सिद्धांतों पर देश में मांस उद्योग के विकास के लिये उपाय सुझाना —

(क) आन्तरिक खपत और निर्यात दोनों के लिये मांस एवं मांस उत्पादों की संभावित मांग तथा अगले 5 वर्षों के दौरान संभावित आपूर्ति;

(ख) बूचड़खानों के आसपास शहरी इलाकों में सफाई तथा स्वास्थ्य की स्थिति को बनाये रखने की आवश्यकता;

(ग) मांस उत्पादन के लिये पशुओं को पालने वाले किसानों की आमदनी बढ़ाने की आवश्यकता।

(2) मांस उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उपयुक्त पशुओं के उत्पादन हेतु उपाय सुझाना।

(3) मांस प्रदान करने वाले उपयुक्त पशुओं का उत्पादन बढ़ाने तथा मांस उद्योगों का विकास करने जिसमें बूचड़खानों का आधुनिकीकरण भी शामिल है, के लिये चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार करना तथा इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित निवेश का अनुमान तैयार करना।

(4) मांस एवं मांस उत्पादों के उत्पादन तथा निर्यात में वृद्धि करने के लिये उपाय सुझाना।

(5) उपरोक्त से संबंधित और उसके परिणामस्वरूप कोई अन्य मामला।

3. प्रभावित क्षेत्रों के दौरों सहित, यदि आवश्यक हो तो बैठकों में भाग लेने के लिये निम्न प्रकार से टी० ए०/डी० ए० लिया जाय।

(क) भारत सरकार और राज्य सरकारों/संगठनों से संबंधित अधिकारियों के टी० ए०/डी० ए० उन स्रोतों से पूरे किये जायें जहां से उनके वेतन और भत्ते लिये जाते हैं।

(ख) गैर सरकारी व्यक्तियों के मामले में टी० ए०/डी० ए० इस विभाग द्वारा वहन किये जायेंगे। इस प्रयोजन के लिये उन्हें भारत सरकार के ग्रेड-1 अधिकारी के बराबर समझा जाएगा।

4. समिति को अपनी रिपोर्ट 3 मास के भीतर प्रस्तुत कर देनी चाहिए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य/सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व, वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा निदेशक, केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बी० बी० महाजन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1987

सं० 8-11/85-पी० पी०-1—कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं० एफ० 8-10/74-पी० पी० एम० दिनांक 20-8-1974 के अधिक्रमण में एतद्द्वारा सामान्य जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अधिकारी को विदेशों, जिन की सरकारों को ऐसे प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता हो, में निर्यात किये जाने वाले पौधों और वनस्पति उत्पादों के संबंध में जांच करने, धूमित करने अथवा रोगाणुओं से मुक्त करने और वनस्पति स्वास्थ्य के प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है:—

निदेशक, वनस्पति संरक्षण, अध्ययन केन्द्र, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर।

सं० 8-11/85-पी० पी०-1—कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं० एफ० 16-10/58-पी० पी० ए स० दिनांक 1-2-1961 के आंशिक संशोधन में एतद्द्वारा सामान्य सूचना के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अधिकारी को विदेशों में निर्यात किये जाने वाले पौधों तथा पौद उत्पादों के संबंध में निरीक्षण, धूमीकरण अथवा रोगाणुओं से मुक्त करने और पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र, जिनकी सरकारों को ऐसे प्रमाणपत्रों की आवश्यकता हो मंजूर करने का अधिकार दिया जाता है:—

"संयुक्त निदेशक, कृषि
(वनस्पति रक्षण) कृषि विभाग, केरल"

सं० 8-11/85-पी० पी०-1—कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक सं० एफ० 16/10/58-पी० पी०-एस० दिनांक 1-2-1961 के आंशिक संशोधन में एतद्द्वारा सामान्य सूचना के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अधिकारी को विदेशों में निर्यात किये जाने वाले पौधों तथा पौद उत्पादों के संबंध में निरीक्षण, धूमीकरण अथवा रोगाणुओं से मुक्त करने और पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र, जिनकी सरकारों को ऐसे प्रमाण पत्रों की आवश्यकता हो मंजूर करने का अधिकार दिया जाता है:—

कृषि निदेशक,
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद।

सं० 8-11/85-पी० पी०-1—अधिसूचना सं० 16-10/58-पी० पी० एम० दिनांक 1-2-1961 के आंशिक संशोधन में और कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं० 16-23/61-पी० पी० एम० दिनांक 23-9-61 के अधिक्रमण में एतद्द्वारा सामान्य सूचना के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अधिकारियों को विदेशों को निर्यात किये जाने वाले पौधों और पौद उत्पादों के संबंध में निरीक्षण, धूमीकरण अथवा रोगाणुओं से मुक्त करने और पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र, जिनकी सरकारों को ऐसे प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता हो, मंजूर करने का अधिकार दिया जाता है:—

"कृषि निदेशालय, महाराष्ट्र के वनस्पति रक्षण स्कंध में कृषि अधिकारी"।

सं० 8-11/85-पी० पी०-1—अधिसूचना सं० 16-10/58-पी० पी० एस० दिनांक 1-2-1961 के आंशिक संशोधन में और कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं० 16-23/61-पी० पी० एम० दिनांक 22-12-1961 के अधिक्रमण में एतद्द्वारा सामान्य सूचना के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अधिकारियों को विदेशों को निर्यात करने के लिये निरीक्षण, धूमीकरण अथवा रोगाणुओं से मुक्त करने और पादप स्वच्छता प्रमाण-पत्र, जिनकी सरकारों को ऐसे प्रमाणपत्रों की आवश्यकता हो, मंजूर करने का अधिकार दिया जाता है:—

1. कृषि निदेशक,
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह,
पोर्ट ब्लेयर।

2. संयुक्त निदेशक, कृषि (सी०),
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह,
पोर्ट ब्लेयर।

3. संयुक्त निदेशक, कृषि (पी० एण्ड एस०),
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह,
पोर्ट ब्लेयर।

जगदीश राम, अवर सचिव

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 फरवरी 1987

सं० 23-7/85-एल० आई०—राष्ट्रपति, सहर्ष निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से बन्दोबस्ती आश्वासन और डाक जीवन बीमा से संबंधित नियमों में और आगे संशोधन किये जायेंगे। जिनके नाम इस प्रकार हैं:—

उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत:—

(1) नियम 31(2) और नियम 35 में

(2) अंतिम वाक्य को हटाया जाए और निम्नलिखित वाक्य को जोड़ा जाए —

"स्वीकृत धनराशि दावेदार की ओर से एल०-1-19/(भाग क) फार्म में पहले से प्राप्त किये गये भुगतान वाउचर

को प्रस्तुत किये जाने पर प्रथा की जाएगी। दावेदार की ओर से भुगतान वाऊचर प्रस्तुत किये जाने पर एस० आई०–19 (भाग क, ख और ग) में भुगतान आदेश प्रेसीडेन्सी पोस्टमास्टर जी० पी० ओ०/संबंधित पोस्टमास्टर मुख्य डाकघर को इन अनुदेशों के साथ कि एस० आई०–19 (भाग ख) के आदेशानुसार धनराशि के लिये दावेदार के पक्ष मे) अपरक्राम्य" अदाता लेखा रेखांकित चैक जारी किया जाए और पोस्टमास्टर उपर्युक्त चैक को दावेदार को आगे प्रेषण के लिये सर्किल कार्यालय को भेजेगा, भेजे जायेंगे।

2. नियम 38 में—

(1) "पांचवी और छठी लाइनों में निम्नलिखित को हटाया जाए—
"किसी भी भारतीय डाकघर पर जो कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुना जा सकता है,, और निम्नलिखित को जोड़ा जाए—
"पोस्टमास्टर जनरल द्वारा "अपरक्राम्य" अदाता लेखा रेखांकित चैक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा"

इसे डाक वित्त की सम्मति से उनके तारीख 19–12–85 डायरी सं० 4651/85 के द्वारा जारी किया जाता है।

पी० बी० विश्वास, निदेशक (पी० एम० आई०)

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 18th February 1987

No. 20-Pres/87.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the Officer

Shri Nandan Singh, (*Posthumous*)
Head Constable No. 590073166,
7th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 11th February, 1986, at about 11.30 A.M. a gang of 14-15 persons of National Socialist Council of Nagaland hostiles attacked the branch of State Bank of India-cum-Tresury at Senapati (Manipur). They were armed with highly sophisticated automatic/semi-automatic weapons of Chinese origin. Eight persons including the Section Commander, Head Constable Nandan Singh, Constable B. L. Nanaihya Naik Sher Singh and Constable Jaldeep Singh were detailed for security duty at the Bank. There were two static sentries, one in front and the other at the rear of the building. Shri Nandan Singh positioned himself at the main door with a view to frisk the men entering the Bank. Naik Sher Singh and Constable Jaldeep Singh positioned near the strong room.

A group of 3 persons entered the bank building, one wearing jacket followed by two other wearing shawls. The man in the jacket, as he stepped inside the bank pushed aside Head Constable Nandan Singh and fired at him hitting him on the right collar bone. The two others also fired at Nandan Singh from automatic/semi-automatic weapons, which they were carrying under their shawls. With these fatal blows, Shri Nandan Singh slumped to the ground. Though riddled with bullets and bleeding, he grappled with the assailants and did not allow them to go past him. He finally fell dead riddled with 13 bullet holes in his body.

Constable B. L. Nanaihya who was on sentry duty in front of the bank building was fired upon by one of the insurgents; one bullet hit him at the right arm and the other at the right back under the shoulder. He fell down in the sentry post, but despite injuries he came of the sentry post and moved towards the bank gate and continued firing at the insurgents. In the meantime another insurgent fired two shots at Shri Nanaihya hitting him on his left thigh and the right chest. He fell down and was taken inside the bank by its employees where he breathed his last. Naik Sher Singh and Constable Jaldeep Singh who were standing near the door of the strong room shouted at the bank employees to lie on the ground and take cover. They lifted their rifles and fired shots which hit the wall where the Section Commander had grappled with the hostiles. Before Naik Sher Singh could fire another shot, one of the insurgents fired at him. The bullet hitting the front hand guard of the rifle tore off his right jaw. Due to pain and injury on the face, he fell down, but returned the fire. Constable Jaldeep Singh dashed to the adjoining room of Bank Manager, fired one shot and broke the front window pane and started firing on the insurgents. The gallant and valient action of these officers, in the face of death, saved the bank from being looted and protected the lives of bank employees.

In this encounter, Shri Nandan Singh, Head Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 11th February, 1986.

No. 21-Pres/87.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserved Police Force :—

Names and rank of the officers

Shri B. L. Nanaihya, (*Posthumous*)
Constable No. 750410084,
7th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Sher Singh,
Naik No. 690480767,
7th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Jaldeep Singh,
Constable No. 800080165,
7th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 11th February, 1986, at about 11.30 A.M., a gang of 14-15 persons of National Specialist Council of Nagaland hostiles attacked the branch of State Bank of India-cum-Treasury at Senapati (Manipur). They were armed with highly sophisticated automatic/semi-automatic weapons of Chinese origin. Eight persons including the Section Commander, Head Constable Nandan Singh, Constable B. L. Nanaihya, Naik Sher Singh and Constable Jaldeep Singh were detailed for security duty at the Bank. There were two static sentries, one in front and other at the rear of the building. Shri Nandan Singh positioned himself at the main door with a view to frisk the men entering the Bank. Naik Sher Singh and Constable Jaldeep Singh positioned near the strong room.

A group of 3 persons entered the bank building, one wearing jacket followed by two others wearing shawls. The man in the jacket as he stepped inside the bank pushed aside Head Constable Nandan Singh and fired at him hitting him on the right collar bone. The two others also fired at Nandan from automatic/semi-automatic weapons, which they were carrying under their shawls. With these fatal blows, Shri Nandan Singh slumped to the ground. Though riddled with bullets and bleeding, he grappled with the assailants and did not allow them to go past him. He finally fell dead riddled with 13 bullet holes in his body.

Constable B. L. Nanaihya who was on sentry duty in front of the bank building was fired upon by one of the insurgents; one bullet hit him at the right arm and the other at the right back under the shoulder. He fell down in the sentry post, but despite injuries he came out of the sentry post and moved towards the bank gate and continued firing at the insurgents. In the meantime another insurgent fired two shots at Shri Nanaihya hitting him on his left thigh and the right chest. He fell down and was taken inside the bank by its employees where he breathed his last.

Naik Sher Singh and Constable Jaldeep Singh who were standing near the door of the strong room shouted at the bank employees to lie on the ground and take cover. They lifted their rifles and fired shots which hit the wall where the Section Commander had grappled with the hostiles. Before Sher Singh could fire another shot one of the insurgents fired at him. The bullet hitting the front hand guard of the rifle tore off his right jaw. Due to pain and injury on the face, he fell down but returned the fire. Constable Jaldeep Singh dashed to the adjoining room of Bank Manager, fired one shot and broke the front window pane and started firing on the insurgents. The gallant and valient action of these officers, in the face of death, saved the bank from being looted and protected the lives of bank employees.

In this encounter, Shri B. L. Nanaihya, Constable, Shri Sher Singh, Naik and Shri Jaldeep Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallentry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 11th February, 1986.

No. 22-Pres/87.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Names and rank of the officers

Shri Pati Ram,
Sub-Inspector No. 561580063,
7th Battalion, CRPF.

Shri Udho Dass, *(Posthumous)*
Head Constable No. 620142156,
40th Battalion, CRPF.

Shri Biranchi Chaudhary,
Constable No. 700070515,
7th Battalion, CRPF.

Shri Vishnu Kumar,
Constable No. 791180991,
7th Battalion, CRPF.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 24th May, 1985, at 6 A.M., a CRPF convoy consisting of 8 buses/vehicles and 171 men with proper protection moved from Dimapur Transit Camp for Imphal (Manipur). While passing through Ghat area, drizzling started and fog affected visibility. While negotiating a 'U' turn the first escort vehicle came under heavy automatic fire from the underground Nagas/Extremists at about 7.50 A.M. in between Medziphema and Pherima. As the convoy stopped, Sub-Inspector Pati Ram immediately realised that his convoy was ambushed. He immediately placed 2" Mortar in a good concealed protected position and ran towards the 'U' turn in utter disregard to his personal safety. After reaching the second vehicle near 'U' turn he shouted to the Incharge of first escort party to intimate firing positions and was told that fire was coming from all the three sides of the 'U' turn, hillock. He gave orders to fire 2" Mortar on the hill slopes and on the left of the vehicle. The Bombs fell on the slopes thundering the area. This unnerved the ambushers and firing stopped from hill slopes. He ran towards first vehicle and found two men lying dead in the vehicle body and many others wounded and crying for help. Head Constable Udho Dass snatched the rifle of one of his colleages, took position and challenged the hostiles. As there was no suitable place to take proper position, he exposed himself to the hostiles. During the encounter he sustained bullet injuries. Constable Biranchi Chaudhary was standing with LMG mounted on the 1st vehicle. He brought down the LMG and placed it on the rear of the vehicle and started firing towards the general directions from where the fire was coming. Undaunted over the cries of wounded men around him he successfully prevented the ambushers to pick up the weapons by firing from the LMG. Before Constable Vishnu Kumar could assess the situation he found himself under heavy automatic fire from the rear. As the tail board of the vehicle was kept open there was no place to hide or take shelter, he immediately started firing towards the ambushers from SLR. Another Constable who was manning a LMG was wounded. Constable Vishnu Kumar took over the LMG and started firing towards the ambushers. His relentless firing kept the head of ambushers down and throttled their attempt to cause other losses. As a result of stiff and unexpected resistance from the escort party the ambushers retreated to save their lives, taking advantage of dense cover, poor visibility, inclement weather and elevated position.

Sub-Inspector Pati Ram took Head Constable Udho Dass to the nearest Assam Rifles, MI Room, where he later succumbed to injuries. All the other wounded personnel were sent in a bus to Assam Rifle Camp with directions to take them to Military Hospital.

In this encounter, Shri Pati Ram, Sub-Inspector, Shri Udho Dass, Head Constable, Shri Biranchi Choudhary, Constable, Shri Vishnu Kumar, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th May, 1985.

No. 23-Pres/87.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Mizoram Police :—

Names and rank of the Officers

Shri Sangkunga,
Constable, SB/CID,
Lunglei, Mizoram.

Shri R. Lallungmuana,
Constable, DSB
Lunglei, Mizoram.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 22nd July, 1983 an information was received that a group of MNF were forcibly collecting taxes in village Mampui area. The Assistant Sub-Inspector of Police, alongwith a Police party left to encounter the MNF group. On reaching near the spot they started contacting the Police informers to get the exact location of MNF camp. While moving through the jungle, they spotted smoke emanating from a certain area and the Police party consisting of two Assistant Sub-Inspectors, one Lance Naik, 4 Constables including Sangkunga and R. Lallungmuana and one Driver moved stealthily, but the Police party was spotted by MNF men and in the first volley of their fire, Police informer Lalronghake was killed. Constables Sangkunga and R. Lallungmuana, who were very close to the informer, immediately charged at the MNF. While returning the fire they moved to the position of MNF in a zig-zag manner. These Constables reached the spot and Shri Sangkunga made a physical assault on the hostiles followed by Constable Lallungmuana. They grappled with the MNF and were successful in snatching the SAR from the insurgents. When they disarmed SS WO-II Vanlalsiama, another hostile emerged from behind but the Constable physically struck him and captured the criminal Lalzauva. In the meanwhile other insurgent started firing which diverted the attention of Constables Sangkunga and R. Lallungmuana. Taking advantage of this, SS PVT. Lalzauva tried to escape by snatching the SAR but he was cut down by the Police firing and died. On being fired back the remaining hostiles escaped and left behind a .303 rifle. In this encounter SS PVT. Lalzauva was killed and Vanlalsiama was arrested. The Commander of the insurgents SS Lt. Chharliliana who had managed to escape was later on found dead as a result of the encounter. One SAR with 59 rounds of ammunitions, one .303 rifle with 40 rounds and an amount of Rs. 3334/- collected illegally were recovered.

In this encounter, Shri Sangkunga, Constable and Shri R. Lallungmuana, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 22nd July, 1983.

S. NILAKANTAN
Deputy Secretary to the President

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 22nd January 1987

RESOLUTION

No. O-15011/1/82-SER.—Reference para 1 of the Planning Commission Resolution No. O-15011/1/82-SER dated the 18th September 1985.

2. The 'Composition of the Committee' may now be read as follows :

COMPOSITION

Chairman

1. Prof. S. Chakravarty, Planning Commission.

Members

2. Dr. Raja J. Chelliah, Member, Planning Commission.
3. Dr. C. H. Hanumantha Rao, Institute of Economic Growth, Delhi.
4. Dr. A. M. Khusro, Chairman, National Institute of Public Finance & Policy, Special Institutional Area, New Delhi-110067.
5. Dr. C. Rangarajan, Dy. Governor, Reserve Bank of India, Bombay.
6. Dr. Y. K. Alagh, Chairman, Bureau of Industrial Costs & Prices, Lok Nayak Bhavan, New Delhi-110003.
7. Dr. K. Krishnamurthy, Institute of Economic Growth, Unievrsity Enclave, Delhi-7.
8. Prof. Iqbal Narain, Member Secretary, Indian Council of Social Sciences Research, 35, Ferozeshah Road, New Delhi.
9. Dr. A. Bagchi, Director, National Institute of Public Finance & Policy, Special Institutional Area, New Delhi-110067.
10. Dr. A. Vaidyanathan, Professor, Madras Institute of Development Studies, Adayar, Madras-600020.
11. Dr. Praveen Visaria, Director, Gujarat Institute of Area Planning, Preetam Raj Marg, Ahmedabad-380006.
12. Prof. Yogendra Singh, Centre for the Study of Social Systems, Jawaharlal Nehru University, New Delhi-110067.
13. Prof. Victor S. D'Souza, National Fellow, Indian Council Sciences Research (Address : 7, Amelia Apartments, Mount Carmal Road, Bandan, Bombay-400 050).
14. Dr. P. C. Joshi, Adviser (International Economics), Planning Commission.
15. Dr. (Mrs.) R. Thamarajakshi, Adviser (Labour, Employment & Manpower), Planning Commission.
16. Dr. S. R. Hashim, Consultant (Perspective Planning), Planning Commission.
17. Dr. P. D. Mukherjee, Adviser (Financial Resources), Planning Commission.
18. Shri S. K. Govil, Consultant (Financial Resources), Planning Commission.

Member Secretary

19. Dr. V. G. Bhatia, Adviser (Development Policy), President, Planning Commission.

3. There is no change in the rest of the Resolution.

ORDER

ORDERED that a copy of the Notification be communicated to all concerned and it be published in the Gazette of India for general information.

K. C. AGARWAL
Director (Administration)

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS & WILDLIFE)

New Delhi-110003, the 28th January 1987

RESOLUTION

Subject :—*Reconstitution of Board for Doon Valley and Adjacent Watershed Areas of Ganga and Yamuna.*

No. J-20012/38/86-IA.—It has been decided that Shri Bhajan Lal, Minister (Environment & Forests) will be the Chairman of the Board for Doon Valley and Adjacent Watershed Areas of Ganga and Yamuna. Shri Z. R. Ansari, Minister of State (Environment & Forests) will continue to be a member of the Board. The composition of the Board as contained in the Ministry of Environment & Forests Resolution No. L. 14015/11/85-Env. 5 dated 25-4-85 stands amended to this extent.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and all other Members of the Board for Doon Valley and Adjacent Watershed Areas of Ganga and Yamuna.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazetted of India for general information.

T. N. SESHAN, Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 22nd January 1987

No. T. 12016/26/86-APC.—The Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare, have been considering the question of taking suitable steps for the development of medicinal plants, inter alia, in view of their importance as major ingredients in drugs of Ayuverdic, Unani, Sidha and Homeopathic systems of medicine. The use of genuine and authentic plant material goes a long way in determining the quality of drugs of these systems of medicine. There has been increasing internal and external demand for these drugs. With a view to taking effective measures for the creation of a sound base for the development of medicinal plants, the President is pleased to decide that a Standing Committee for the development of Medicinal Plants be constituted in the Ministry of Health and Family Welfare consisting of the following Members :

Chair person

1. Minister of State for Health,
in the Ministry of Health and Family Welfare,
Government of India.

Members :

2. Secretary,
Ministry of Health and Family Welfare,
Government of India.
3. Additional Secretary,
Ministry of Health and Family Welfare,
Government of India.
4. Joint Secretary,
Ministry of Health and Family Welfare,
Government of India.
5. Director (ISM),
Ministry of Health and Family Welfare,
Government of India.
6. Adviser (A.S.N. & Y.),
Ministry of Health and Family Welfare,
Government of India.
7. Adviser (Homoeopathy),
Ministry of Health and Family Welfare,
Government of India.
8. Director,
Central Council of Research
in Ayurveda and Siddha,
S-10, Dharma Bhavan,
Green Park Extension,
New Delhi.

9. Director,
Central Council for Research in Unani Medicine,
5-Panchasheel Shopping Centre,
Panchsheel Marg,
New Delhi.

10. Director,
Central Council for Research in Homoeopathy,
Janakpuri,
New Delhi.

11. Director (ISM),
Government of Tamil Nadu,
Madras.

12. Director (ISM),
Government of Himachal Pradesh,
Shimla.

13. Director,
Ayurved & Unani,
Government of Uttar Pradesh,
Lucknow.

14. Director of Health Services,
Government of Assam,
Guwahati.

15. Director of Indian Systems of Medicine,
Government of Madhya Pradesh,
Bhopal.

16. Director,
Botanical Survey of India,
Calcutta.

17. Dr. (Mrs.) G. V. Satyawati,
Senior Deputy Director General,
Indian Council of Medical Research,
Ansari Nagar,
New Delhi.

18. Vice-Chancellor,
Tamil Nadu Agricultural University,
Coimbatore.

19. Vice-Chancellor,
Gujarat Ayurved University,
Jamnagar.

20. Vice-Chancellor,
Dr. Y. S. Parmar University,
of Horticulture and Forestry,
Solan (H.P.).

21. President,
Forest Research Institute,
Dehradun.

22. Chief Coordinator,
National Bureau of Plant,
Genetic Resources,
New Delhi.

23. Chairman,
Ayurveda Pharmacopoeia, Committee.

24. Chairman,
Unani Pharmacopoeia Committee.

25. Chairman,
Homoeopathic Pharmacopoeia Committee.

26. Dr. Krishna Kumar,
(Manufacturer/Physician),
Coimbatore.

27. Vaid Shri Ram Sharma,
Bombay.

Member-Secretary

28. Under Secretary (ISM),
Ministry of Health and Family Welfare,
Government of India.

2. The functions of the Committee will be as follows :—

(a) to suggest measures for the development of medicinal plants in general including compilation of the basic information relating to their demand and supply;

(b) to consider export potential;

(c) to consider various methods for conservation of endangered species;

(d) to consider various training programmes for different levels of functionaries and others engaged in collection of medicinal plants;

(e) to evolve action plant for identified activities in the promotion programmes for medicinal plants;

(f) to coordinate the action to be taken by the Ministries and Departments at the Centre including the activities of the nodal agencies in the States;

(g) to consider various other measures that may be necessary for the promotion of Medicinal Plants.

3. The trems of the members of the Committee shall be for a period not exceeding three years from the date of publication of this Resolution.

4. The non-official members of the Committee shall be entitled to T.A. and D.A. as admissible under the rules of the Government of India. In case of official members, the expenditure on T.A. and D.A. shall be met from the source from which their pay is being drawn.

5. The expenditure involved will be met from the sanctioned grant of the Ministry of Health and Family Welfare.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all State Governments/U.T.s and the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. ALOK,
Jt. Secy. (A)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 29th January 1987

No. 18-64/86-LDT.—It has been decided by the Government of India to constitute an Expert Committee to suggest measures for development of the meat industry in the country. The constitution of the Expert Committee will be as under—

Chairman

1. Professor N. S. Ramaswamy,
(Ex-Director,
Indian Institute of Management),
Chairman, CARTMAN,
Bangalore.

Members :

2. Dr. H.A.B. Parpia,
(Ex-Director,
Central Food Technological Research Institute),
Adviser, U. N. University,
Mysore (Karnataka).

3. Dr. S. Thyagarajan,
Director,
Central Leather Research Institute, Adyar,
Madras.

4. Shri Irfan Allana,
Meat Industrialist,
C/o M/s. Allana & Sons,
Bombay (Maharashtra).

5. Dr. S. C. Jain,
Assistant Director General,
(Animal Science),
Indian Council of Agricultural Research,
New Delhi.

6. Dr. N. R. Bhasin,
Director,
Ministry of Commerce,
Udyog Bhawan,
New Delhi.

7. The Managing Director,
Andhra Pradesh Meat & Poultry Corporation,
Shanti Nagar, Hydearbad.

8. The Managing Director,
Maharashtra Agricultural & Fertilizer Corporation,
(MAFCO), Bombay.

9. A respresentative of the rank of Executive Director,
National Dairy Development Board
Anand (Gujarat).

10. Dr. B. Sanyal,
Deputy Adviser (Animal Husbandry),
Planning Commission, Yojana Bhawan,
New Delhi.

11. Director (Animal Husbandry),
Uttar Pradesh.

12. Director (Animal Husbandry),
Mizoram.

Convenor

13. Dr. A. K. Chatterjee,
Animal Husbandry Commissioner,
Department of Agriculture & Cooperation,
Ministry of Agriculture,
Krishi Bhawan, New Delhi.

2. The terms of reference of the Committee will be as under—

(i) To suggest measures for development of meat industry in the country on sound lines having regard to

(a) the likely demand for maet & meat products both for internal consumption and export and the likely suply during the next 5 years;

(b) the need for maintenance of sanitary and hygienic conditions in urban areas around the slaughter houses;

(c) the need for raising the income of farmers who rear animals for meat production.

(ii) To suggest measures for the production of suitable animals for meeting the requirements of the meat industry.

(iii) To draw up a phased programme for increase in the production of suitable meat animals and deelopment of the meat industries including modernisation of the slaughter houses alongwith an estimate of the investment required for the purpose.

(iv) To suggest measures for increasing production and export of meat and meat products.

(v) Any other matter, incidental and consequential to above.

3. For attending the meetings including visits, if necessary, to the affected areas, TA/DA may be drawn as follows :—

(a) TA/DA to the officers belonging to Government of India and State Governments/Organisations may be met from the sources from where their salaries and allowances are drawn.

(b) TA/DA in the case of non-officials will be met by this Department. They will be treated at par with Grade I officers of Government of India for this purpose.

4. The Committee should submit its report within three months.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution to be communicated to all the State Governments/Union Territories/all concerned Ministries/Departments of Government of India, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, President's Secretariat, the Planning Commission, Controller & Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues, Director of Commercial Audit, Central Leather Research Institute, Central Food Technological Research Institute, Council of Scientific & Industrial Research.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. B. MAHAJAN, Addl. Secy.

New Delhi, the 30th January 1987

No. 8-11/85-PPI.—In supersession of the Notification of Government of India in the Ministry of Agriculture and Rural Development (Department of Agriculture and Cooperation) No. F. 8-10/74-PPS, dated 20th August, 1974, it is hereby notified for general information that the following Officer is authorised to inspect, fumigate or disinfect and to grant Phytosanitary Certificates in respect of plants and plant products intended for export to foreign countries, Governments of which require such certificates :

"Director, Centre for Plant Protection Studies, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore".

No. 8-11/85-PPI.—In partial modification of the Notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Rural Development No. F. 16-10/58-PPS, dated the 1st February, 1961, it is hereby notified for general information that the following officer is authorised to inspect, fumigate or disinfect and to grant Phytosanitary Certificates in respect of plants/plant products intended for export to foreign countries, Governments of which requires such certificates.

"Joint Director of Agriculture (Plant Protction) Department of Agriculture, Kerala."

No. 8-11/85-PPI.—In partial modification of the Notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Rural Development No. F.16-10/58-PPS dated 1-2-1961, it is hereby notified for general information that the following Officer is authorised to inspect, fumigate or disinfect and to grant Phytosanitary Certificates in respect of plants and plant products intended for export to foreign countries, Governments of which require such certificates :

"Director of Agriculture, Andhra Pradesh, Hyderabad".

No. 8-11/85-PPI.—In partial modification of Notification No. 16-10/58-PPS dated 1-2-1961 an in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Rural Development No. 16-23/61-PPS dated 23-9-1961, it is hereby notified for general information that the following Officers are authorised to inspect, fumigate or disinfect and to grant Phytosanitary Certificates in respect of plants and plant products intended for export to foreign countries, Governments of which require such certificates :—

"Agricultural Officers in the Plant Protection Wing of the Directorate of Agriculture, Maharashtra".

No. 8-11/85-PPI.—In partial modification of Notification No. 16-10/58-PPS dated 1-2-1961 and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Rural Development No. 16-23/61-PPS dated 22-12-1961, it is hereby notified for general information that the following Officers are authorised to inspect, fumigate or disinfect and to grant Phytosanitary Certificates for export to foreign countries, Governments of which require such certificates :—

1. Director of Agriculture,
Andaman and Nicobar Islands,
Port Blair.

2. Joint Director of Agriculture (C),
Andaman and Nicobar Islands, Port Blair.

3. Joint Director of Agriculture (P&S),
Andaman and Nicobar Islands, Port Blair.

BAKHSHISH RAM,
Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110 001, the 2nd February 1987

No. 23-7/85-LI.—The President is pleased to direct that with effect from the date of issue of this Notification the following further amendments shall be made in the rules relating to Postal Life Insurance and Endorsement Assurance, namely :—

In the said rules—

(1) in Rule 31(2) and Rule 35—

(i) Delete the last sentence and insert the following :—
"The amount sanctioned shall be paid after obtaining a pre-receipted discharge voucher from the claimant in form LI-19 (Part-A). After receipt of the discharge voucher from the claimant the order of payment in LI-19 (Part A, B & C) will be sent to the Presidency Postmaster G.P.O./Postmaster H.O. concerned with instruction to issue an account payee crossed cheque 'Not negotiable' in favour of the claimant for the amount as ordered in LI-19, Part-B and the Postmaster shall forward the said cheque to the Circle Office for further remittance to the claimant".

(2) in Rule 38—

(i) "In lines fifth and sixth the following shall be 'Omitted'—at any Indian Post Office that may be selected by such persons—and 'insert' the following "The payment shall be made by the Postmaster General by means of an account payee crossed cheque 'Not negotiable'.

This issues with the concurrence of Postal Finance vide their Dy. No. 4651/85 dated 19-12-85.

P. B. BISWAS,
Director (PLI).

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1687